Universe Journal of Education & Humanities ISSN 2348-3067
Volume-I, No. I, Feb.-2014, pp. 99-102

भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार समस्या एवं समाधान

डा. सतेन्द्र कुमार, पी0डी0एफ0 –राजनीति विज्ञान,
श्री शालिग राम शर्मा स्मारक (पी.जी.) कालेज रासना (मेरठ)।
डा.नरेन्द्रनागर पी0डी0एफ0–राजनीतिविज्ञान
चौ. चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ भारत।

देश आज भ्रष्टाचार से त्रस्त है। फिर वही कुछ लोग देश में पूर्व से ही राजनीति, राजनीतिज्ञ और राजनैतिक दलों से घृणा और अनास्था पैदा करने का काम करते रहे है। ये ऐसे लोग है, जो स्वयं को सर्वाधिक बृद्धिमान मानते है। देश में जो लोग घोषित रूप से भ्रष्टाचार करते देखे जा रहे है, वो भी यह कहने को तैयार नही होगें कि देश में भ्रष्टाचार होना चाहिए। बेचारा वह भ्रष्टाचार करने वाला भी भ्रष्टाचार का विरोध ही करेगा। क्या कोई भ्रष्टाचार का समर्थन करेगा, कदापि नही ? जब सब दोषी हो तो एक दूसरे पर दोषारोपण कैसा ? आज कोई निर्दोष रहना नही चाहता और जो रहना चाहता है, वह कल दोषी हो जाता है और जो निर्दोष है उसे लगता है कही मैं ही तो दोषी नही हूँ। दोषयुक्त राजनीति का ऐसा दौर गत चार दशकों में कभी नही देखा गया। राजनीति फायदें की चीज है। राजनीति रूतबे की चीज है। राजनीति स्टेटस है। राजनीति – धूर्तता की पाठशाला है। राजनीति मद का आंगन है। राजनीति ईष्या का परिसर है। राजनीति गला काट प्रतिस्पर्धा है। राजनीति एक–दूसरे को गिराने का अखाडा है। राजनीति प्रतिरोध है। राजनीति धन–बल और बाहुबल का पर्याय है या फिर जन–बल के अन्तिम संस्कार का केन्द्र है। समझ में नही आ रहा है कि सत्ता में आना ही राजनीति है या राजनीति इसलिए कि सिर्फ सत्ता में आना है। किसलिए राजनीति ? किसके लिए राजनीति? क्यो राजनीति ? इसकी समझ के बिना अधिकांश लोग आज भारतीय राजनीति में है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति कहने लगा है कि गरीबी मिटाना है तो राजनीति में चले जाओं, देश की नही स्वयं की। राजनीति राष्ट्र हित में होनी चाहिए थी। लेकिन विडम्बना देखिए कि जन–जन का मानस आज राजनीति से आहत है। लोगो ने राजनीति के मायने बदल दिए है। राजनीति मजबूत होती थी, कभी मजबूर नही होती थी। बदलती राजनीति, राजनीति की बदलती परिभाषा, राजनीति की बदलती प्रकृति, समाज की प्रकृति से दूर हो गयी है। पहले लोग राजनीति समाज के लिए करते थे। अब स्वयं के लिए करते है। जब लोकतन्त्र में राजनीति संविधान को रौंदने लगे, संविधान की सिसकियाँ सुनने को कोई तैयार नही है। लोकतन्त्र कैसे जीवित रहेगा ? लोकतन्त्र संविधान से चलता है। संविधान है ही लोकतन्त्र के लिए। आज तो लोकतन्त्र में राजनीति ही उसे कुतर–कुतर कर खा रही है। किसे दोष दे स्वयं को या राजनीति को ? राजनीति को या सरकार को ? सरकार को या समाज को ? किसने की इतनी बुरी हालत राजनीति की ? क्या कमजोर राजनीति से मजबूत भारत साकार हो सकता है। क्या ऐसी ही राजनीति से 21वीं सदी का भारत बन सकता है। आज संसद शर्मशार है। यदि हम भ्रष्टाचार निपटने के प्रति गम्भीर है तो हमें हमारी भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करना होगा। देश के सबसे बड़े घोटाले में कांग्रेस और उसके नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार को घेरने में जुटी भाजपा को जिस तरह कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री एस० येदुयुरप्पा से जुड़े घपले से दो चार होना पड़ रहा है उससे एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि भ्रष्टाचार किसी एक दल तक सीमित नहीं है। अब तो ऐसा लगता है कि हमारे ज्यादातर राजनेता मौका मिलते ही हेराफेरी में शामिल हो जाते हैं। जो जितने उच्च पद पर होता है वह उतने ही बड़े घोटाले को अंजाम देता है।

टूजी स्पैक्ट्रम घोटाले में ए० राजा एक तरह से रंगे हाथों पकड़े गए हैं, लेकिन वह अभी भी अपने को पाक साफ बता रहे हैं। इससे लज्जाजनक यह है कि डेढ वर्ष तक उनका बचाव करती आ रही कांग्रेस अभी भी देश को यह समझाना चाहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। यह निराशाजनक है कि भाजपा नेतृत्व कर्नाटक के भूमि घोटाले को लेकर तब चेता जब उसे यह आभास हुआ कि इस मामले की अनदेखी करने से स्पैक्ट्रम घोटाले में फंसी कांग्रेस पर दबाव बनाने में कठिनाई आ सकती है। इससे सन्तुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि येददुपुरप्पा यह कह रहे हैं कि उनके परिजन अपने भूखण्ड वापस कर देगें। क्या इतने मात्र से जो कुछ गलत हुआ वह सही हो जाएगा? क्या भाजपा ऐसी सुविधा घपले–घोटाले में लिप्त सभी लोगों को देने के लिए तैयार हैं? यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि यदि कर्नाटक का भूमि घोटाला राष्ट्रीय स्तर पर नही उछलता और येददुमुरप्पा के कारण पार्टी छवि पर आंच नहीं आती तो भाजपा नेतृत्व इस मामले में दखल देने वाला नहीं था। लेकिन उन्होंने जिस तरह बेंगलूर और आस–पास के इलाके में पिछले दस वर्षों के दौरान हुए सभी भूमि सौदों की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराने की घोषणा की उससे यह सहज ही समझा जा सकता है कि घोटालों से घिरे होने के बावजूद वह इस जांच के जरिए विरोधी दलों को मात देना चाहते हैं। कुछ इसी तरह का रवैया कांग्रेस ने अपना रखा है। वह ऐसे संकेत दे रही है कि टूजी स्पैक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित की जा सकती है। बशर्ते राजग शासन के समय की स्पैक्ट्रम आवंटन नीति की भी छानबीन की जाए। स्पष्ट है कि किसी भी राजनीतिक दल की दिलचस्पी न तो भ्रष्ट तत्वों को दण्डित करने में है और न ही ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने में जिससे घपले–घोटाले हो ही न सकें।''[13] यू०पी०ए० सरकार के पास भ्रष्टाचार से निपटने की कोई नीति नहीं है। सच तो यह है कि इस मामले में कांग्रेस के दृष्टिकोण में ही बुनियादी खामी है। कौन भूल सकता है कि कांग्रेस ने बोफोर्स तोप सौदे में दलाली खाने के आरोपी ओटोवियों क्वात्रोची को किस तरह बचकर निकल जाने दिया बोफोर्स तोप सौदा होते ही क्वात्रोची के स्विस बैंक स्थित खाते में 70 लाख डालर की रकम कैसे आ गयी? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने क्वात्रोची के बैंक खाते में रोक लगा दी, लेकिन केन्द्र में संप्रग (यू०पी०ए०) की सरकार आते ही यह रोक आश्चर्यजनक तरीके से हटवा दी गयी। कोई भी यह समझ सकता है कि यह काम 10 जनपथ के दबाव में किया गया। यह 10 जनपथ के दबाव का ही नतीजा था कि अदालत में सी०बी०आई० की ओर से यह कहा गया कि क्वात्रोची के खिलाफ मामला नहीं बनता। भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस के लचर रवैये का ताजा प्रमाण है। टूजी स्पैक्ट्रम में हुई धांधली के स्पष्ट सबूत होने के बावजूद दूरसंचार मंत्री ए० राजा का अपने पद पर बने रहना। यह आजादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें सत्तर हजार करोड़ से लेकर डेढ़ लाख करोड़ रूपये तक की चपत सरकार को लगाई गई है।''[14]आम तौर पर हम काला धन, तस्करी और आतंकवाद जैसी समस्याओं को अलग–अलग मान लेते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये सब एक ही श्रृंखला की कडियां हैं। इन सब कडियों का मूल स्रोत है भ्रष्टाचार। इसलिए यह आवश्यक है कि देश में व्याप्त इन बुराईयों के उन्मूलन के लिए एक समग्र नीति बनाई जाए। इसके पहले चरण में कानून की ऐसी मजबूत आधारभूत संरचना बनाने की आवश्यकता है ताकि ऐसे अपराधों को करने से पहले भ्रष्ट तत्वों के मन में डर पैदा हो। भ्रष्टाचारियों को यह भी एहसास हो उनके द्वारा किए गए अपराध के परिणाम को किसी भी तरह छुपाना संभव नही होगा। इसके अलावा यह सुनिश्चित किए जाने की भी बहुत आवश्यकता है कि सरकारी तंत्र खासकर जांच एजेंसियां अपना काम स्वतन्त्र और निष्पक्ष ढंग से करें और उनके काम में किसी तरह का हस्तक्षेप न हो। इस कार्य के लिए दृढ़ और ईमानदार राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, क्योंकि केवल नियम या कानून बना देने

मात्र से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होने वाला इसके लिए सतत प्रयास और जनजागरूकता की आवश्यकता होगी, जिसमें विभिन्न संगठनों, दबाव समूहों मीडिया और नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है।[15] इसके लिए तात्कालिक तौर पर सात सूत्रीय कार्यक्रम हमारे लिए एक मार्गनिर्देशक का काम कर सकता हैः–

(1) सबसे पहले तो कर चोरी को एक संज्ञेय अपराध बनाया जाए। जो लोग टैक्स नहीं चुकाते हैं अथवा चोरी करते हैं उन्हें जेल भेजने का स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि यह देश की जनता के साथ किया जाने वाला छल और अपराध है। जहां तक जेल भेजने की अविधि का सवाल है तो यह टैक्स चोरी की राशि से जुड़ी होनी चाहिए इससे लोग टैक्स चोरी करने से बचेगें।

(2) हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा का अनुपात हमारी जी०डी०पी० (एकल घरेलू उत्पाद) के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं, दूसरे देशों में यह अनुपात दो से पाँच प्रतिशत है जबकि भारत में से 14 से 15 प्रतिशत है। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था में भी यह अनुपात दो से तीन प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

(3) संपदा हस्तांतरण के नियम कड़े किए जाने चाहिएं। साथ ही नेशनल प्रोपर्टी रजिस्टर बने ताकि हर व्यक्ति के प्रोपर्टी हस्तान्तरण और बैंक खातों आदि की पूरी जानकारी एक जगह आ सकें यह एन०पी०आर० एक कम्प्यूटर पर होगा, जिसमें भारत में प्रोपर्टी का क्रय–विक्रय करने वाले सभी व्यक्तियों का नाम व फिंगर प्रिंट होगें। यह कम्प्यूटर फिंगर प्रिंट पर आधारित यूनिक आइडी से खुलेगा। इस तरह खरीद विक्रय की जाने वाली सम्पत्तियों व खातों की समस्त जानकारी और ब्यौरा इसमें सीधे दर्ज होता रहेगा। इससे भ्रष्टाचार के एक बड़े क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी।

(4) भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में सुधार करके उसमें सजा कड़ी करने का है। फिलहाल भ्रष्टाचार की पुनरावृत्ति पर ज्यादा से ज्यादा सात साल सजा का प्रावधान है, भले ही सम्बन्धित व्यक्ति ने हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया हो और अघोषित सम्पत्ति खरीदी हो। सजा का निर्धारण सम्पत्ति के मूल्य से होना चाहिए। इस कानून में एक और सुधार यह भी हो कि मुकदमा चलाने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता न रहे। इसलिए धारा–19 को समाप्त कर देना चाहिए।

(5) सी०वी०सी० एक्ट की धारा–26 खत्म कर देनी चाहिए। इसके तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए इजाजत की आवश्यकता होती है।

(6) जनप्रतिनिधित्व कानून में यह प्रावधान जोड़ा जाए कि किसी अपराधी के खिलाफ यदि चार्जशीट तैयार हो हाती है तो उसे न तो चुनाव लड़ने का हक है और न ही उसे सरकार में कोई कार्यभार सौंपा जाए।

(7) देश में भ्रष्टाचार के विरूद्ध एक स्वायत्त संस्था का गठन हो जो सरकार से पूर्णतः स्वतंत्र हो। इसे बहुत सशक्त और प्रभावी बनाया जाए जिसके तहत लोकपाल सी०वी०सी०, सी०बी०आई०डी०, जैसी जांच एजेंसियों के कार्य क्षेत्र आएं।

भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार एक बडा मुद्दा है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए हमारे पर कई कानूनी और संस्थागत इन्तजाम है। कई काननी है जैसे– भ्रष्टाचार निवारण कानून, धन का छुपाकर बाहर भेजने–मंगाने को रोकने का कानून, केन्द्रीय सर्तकता आयोग कानून, सूचना का अधिकार कानून। इन सभी कानूनों से जानकारियाँ लोगो तक पहुंचती है और लापरवाहियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने में मदद मिलती है। भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए एक अच्छा कानून बनाना और एक प्रभावी संस्था गठन करना जरूरी है। लेकिन भ्रष्टाचार की बुराई से इतने भर से नही निपटा जा सकता। हमें सरकारी काम–काज क प्रक्रियाओं को आसान बनाने, विशेषाधिकारों का दायरा कम करने, मनमाने तरीके से काम करने की प्रवृत्ति को खत्म करने और पूरी पारदर्शिता लाने पर भी ध्यान देना होगा। भ्रष्टाचार से जो भी तरीके हम

अपनाये, वे हमारे समाज और देश के व्यापक हित में होने चाहिए। मेरा मानना है कि किसी एक बडे कदम से ही भ्रष्टाचार को नही मिटाया जा सकता, बल्कि हमें इसके लिए कई मोर्चो पर एक साथ काम करना होगा। हमें अपनी न्याय व्यवस्था को चुस्त–दुरूस्त करना होगा। सभी को यह मालूम होना चाहिए कि बेईमान लोगो के खिलाफ तेजी से कानूनी कार्यवाही की जायेगी और उसको सजा दी जायेगी। अगर हमारे यहाँ कारगर ढंग से इन्साफ होने लगे तो सरकारी अधिकारी लालच या राजनैतिक दबाव में गलत काम करने से पहले कई बार सोचेंगें। अतः यदि हम वास्तव में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के प्रति गम्भीर है तो हमारे भ्रष्टाचार विरोधी तन्त्र में आमूल परिवर्तन करना होगा। सरकार को चाहिए कि वह जन लोकपाल विधेयक को स्वीकार कर लें और देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाए। यदि देश में भ्रष्टाचार रोकना है तो इसके लिए ठोस नियम–कानून बनाने पड़ेगें और लोकपाल सरीखी संस्थाओं का गठन करना होगा। ऐसी संस्थाओं के पास ऐसे अधिकार होने चाहिएं कि वे स्वेच्छा से भ्रष्टाचार के किसी मामले की खुद जांच कर सके। केन्द्र सरकार की ओर से भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकपाल विधेयक लाने की चर्चा चल रही है।''

पाद टिप्पणी

1. पुखराज जैन बी०एल० फाडिया, भारतीय शासन एवं राजनीति, 'साहित्य पब्लिकेशन, 2010 पृ० 566
2. डॉ० पुखराज जैन व बी० एल० फाडिया–भारतीय शासन एवं राजनीति साहित्य पब्लिकेशन 2010 पृ० 25
3. मानचन्द खण्डेल, वर्तमान भारतीय राजनीति, अहिरन्त पब्लिशिंग हाउस, जयपुर 2007, पृ० 3–4।
4. मानचन्द खण्डेल, वर्तमान भारतीय राजनीति, अहिरन्त पब्लिशिंग हाउस, जयपुर 2007, पृ०, 5।
5. मानचन्द खण्डेल, वर्तमान भारतीय राजनीति, अहिरन्त पब्लिशिंग हाउस, जयपुर 2007, पृ० 39–41।
6. मानचन्द खण्डेल, वर्तमान भारतीय राजनीति, अहिरन्त पब्लिशिंग हाउस, जयपुर 2007, पृ० 47–48।
7. मानचन्द खण्डेल, वर्तमान भारतीय राजनीति, अहिरन्त पब्लिशिंग हाउस, जयपुर 2007, पृ० 49।
8. एस० एम० सईद, भारतीय राजनीति व्यवस्था, भारत बुक सैन्टर लखनऊ 2009, पृ० 297
9. बी० एल० फाडिया व जैन भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य पब्लिकेशन 2009 पृ० 616